न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 452 सन 2018
अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति माली निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र गोविन्दराम जाति माली निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
2. उम्मेद कुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति माली निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
3. सुमित्रा 4 सुशीला 5 निर्मला 6 राधा ,7 सन्तोष देवी पि0 जाति माली निवासी 24 एनटीआर तहसील नोहर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 34/11 के प0न0 333/421(36) के किला न0 12/0.253 ,14/0.253 ,15/2 की 0.1480 ,16/0.228 ,17/0.253 ,19/0.253 ,22/0.253 ,24/.253 ,25/.253 ,प0न0 333/421(37) के किला न0 20/0.253 ,21/0.253 ,प0न0 335/422(40) के किला न0 11 ,20 ,21/0.759हैक प0न0 334/422(41) के किला न0 11 ता 14/0.253हैक , 15/0.2280 ,332/422(43) के किला न0 2/0.253 ,4/.253 ,5/2 की 0.1910, 7/2 की 0.0880हैक , 9/0.253 ,12/.253 ,प0न0 मु0न0 60/16 की 0/2 की 0.0250हैक गै0मु0 खाला प0न0 0 मु0न0 62/9 की 0/2 की 0.1010हैक गै0मु0 रासता कुल 6.0440हैक भूमि स्थित है। जिसके पूर्व में वादी के दादा गोविन्दराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज थी।

वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोविन्दराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके तीनों पुत्रों पर औद हुइ जिनके आपसी सहमति से खाता तकसीम करवाने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्स में रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 34/11 की 6.0440हैक भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी में उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया किया गया।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसर वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोविन्दराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसर पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर के खाता संख्या 34/11 की कुल 6.0440हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official